कार्यकारी सार

1. भारतीय रेल –कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन इकाईयों में पर्यावरण प्रबन्धन

संसदीय स्थाई समिति (1997-98) ने भारतीय रेल की कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण तथा क्षमता उपयोग पर अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में माना कि कार्यशालाओं में कार्यचालन स्थितियां श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरा प्रस्तुत करती हैं। समिति ने कार्यचालन स्थितियों में सुधार किए जाने और नई सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रयासों की सिफारिश की ताकि धुआं उत्सर्जन तथा गन्दे पानी का निपटान पर्यावरण आवश्यकताओं को प्रमाणित कर सके।

भारतीय रेल में 432 कार्यशालाएं/शेड तथा छः उत्पादन ईकाईयां हैं। इन इकाईयों के परिचालन तथा अनुरक्षण से वायु, जल तथा शोर प्रदूषण होता है और पर्याप्त अपशिष्ट पैदा होता है। ऊर्जा का थोक उपभोक्ता होने पर ये ईकाईयां ऊर्जा दक्ष साधन अपनाकर ऊर्जा सुरक्षित रखने की सम्भावना रखती हैं। तथापि प्रदूषण के नियंत्रण तथा अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित सांविधिक प्रावधानों और रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/मार्ग निर्देशों के अनुपालन का उच्च जोखिम भी हुआ था।

यह प्रतिवेदन ''कार्यशालाओं, शेड़ों तथा उत्पादन इकाईयों" में पर्यावरण प्रबन्धन की समीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है जो कार्यशालाओं, शेड़ों तथा उत्पादन ईकाईयों में इसके प्रचालनों तथा अनुरक्षण कार्यकलापों के पर्यावरणीय प्रभाव का समाधान करने में भारतीय रेल का निष्पादन निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा कवायद के द्वितीय चरण के रूप में की गई थी।

यह पाया गया था कि रेलवे बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबन्धन तथा ऊर्जा संरक्षण पर मार्गनिर्देश तथा अनुदेश जारी किए थे। यह भी देखा गया था कि इन मामलों पर कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों द्वारा कुछ प्रगति भी की गई थी। पर्यावरण प्रबन्धन में देखी गई महत्वपूर्ण कमियां सविस्तार नीचे दी गई हैं:-

स्थापित करने की सहमति (सीटीई) तथा प्रचालन की सहमति (सीएफओ) प्राप्त करने की सांविधिक बाध्यता का नमूना जांचित 88 प्रतिशत (सीटीई) तथा 68 प्रतिशत (सीएफओ) कार्यशालाओं तथा शेडों द्वारा पालन नहीं किया गया था। क्षेत्रीय रेलवे तथा रेलवे बोर्ड के प्रभावी मानीटरन के अभाव के परिणामस्वरूप सहमति देते समय निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं हुआ। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के प्रावधान के साथ कार्यशालाओं तथा शेड़ों में वायु गुणवत्ता और शोर प्रदूषण का मानीटरन अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण उपकरण कार्यचालन स्थिति में अनुरक्षित नहीं किया गया था।

बहि:स्राव संसाधन संयंत्र (ईटीपी) या तो प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे अथवा जहां कहीं प्रतिष्ठापित किए गए थे, वहां विसर्जन की गुणवत्ता को मानीटर नहीं किया गया था जिसके कारण खुले क्षेत्र में ईटीपी कीचड़ का अनुचित निपटान हुआ। जलपुन: चक्रण संयंत्र (डब्ल्यूआरपी) तथा वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) पर रेलवे बोर्ड के निर्देशों/मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति नगण्य थी।

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की कार्यशालाओं तथा शेडों के अभिक्रम आंशिक थे। रेलवे बोर्ड स्तर पर ठोस कार्य योजना तथा मानीटरन के अभाव में ऊर्जा लेखापरीक्षा तथा उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं पाई गई थी।

अभिलेखों/विवरणियों के आंशिक अनुरक्षण तथा प्रस्तुतीकरण और खतरनाक अपशिष्टों के प्रहस्तन के साथ-साथ अपशिष्टों के उचित निपटान की कमी हुई थी। अपशिष्टों के निपटान हेतु कार्यशालाओं तथा शेडों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं पर्यावरण अनुकूल नहीं थी। नमूना जांचित 138 कार्यशालाओं तथा शेडों में से 128 ने सुस्पष्ट प्रणाली भी नहीं अपनाई थी।

यद्यपि 89 प्रतिशत कार्यशालाएं तथा शेड स्वास्थ्य इकाईयों से सम्बद्ध थीं फिर भी कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यशालाओं, शेड़ों

तथा उत्पादन ईकाईयों के चिकित्सा अधिकारियेां द्वारा आवधिक निरीक्षणों का पालन नहीं किया गया था। श्रमिकों की निवारक चिकित्सा जांच से सम्बन्धित चिकित्सा अभिलेखों के अनुरक्षण मे कमियां पाई गई थी। 2007-12 के दौरान कुल मिलाकर 10420 दुर्घटनाएं हुई थीं और उनमें से 51 प्रतिशत दुर्घटनाएं मध्य, पूर्व तथा उत्तर रेलवे की 12 कार्यशालाओं और 18 शेडों में हुई थीं।